mail

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक / बी–6 / नियमन / 47 / कटनी / 228 भोपाल दिनांक 07/12/2021

प्रति

1. संयुक्त / उप संचालक (समस्त)
   मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
   भोपाल

2. सचिव (समस्त)
   कृषि उपज मंडी समिति
   —————— ज़िला – ——————

विषयः—मंडी समिति द्वारा अनुज्ञप्ति मंजूर एवं नवीनीकरण करने के संबंध में।

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 31 अंतर्गत मंडी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति को इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के उपबंधों के अनुसार कार्य करना अनिवार्य है। मंडी अधिनियम की धारा 32 में मंडी के कृत्यकारियों को अनुज्ञप्ति मंजूर या नवीनीकरण करने के लिये मंडी समिति सशक्त है। इस अधिकार के तहत् मंडी समिति, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों के आधार पर, अनुज्ञप्ति मंजूर करने या उसका नवीनीकरण करने से इंकार कर सकेगी। उक्त प्रावधान में निम्नानुसार तीन परन्तुक शामिल है –

परन्तु यदि मंडी समिति अनुज्ञप्ति की मंजूरी या उसके नवीकरण के आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख से छः सप्ताह के भीतर अनुज्ञप्ति मंजूर करने में या अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने मे चूक करती है तो यह समझा जायेगा कि अनुज्ञप्ति यथास्थिति मंजूर कर दी गई है या उसका नवीकरण कर दिया गया है।

परन्तु यह और भी कि यदि किसी आवेदक के विरूद्व मंडी समिति के शोध्य, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 के अधीन शोध्य भी आते है, बकाया है तो अनुज्ञप्ति नवीकृत नही की जायेगी।

परन्तु यह भी कि कोई भी अनुज्ञप्ति किसी अव्यस्क को मंजूर नही की जायेगी।

अतः इस विषय में पूर्व के सभी निर्देश / पत्र को अधिक्रमित करते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि मंडी समिति द्वारा अनुज्ञप्ति को मंजूर या उसका नवीनीकरण करते समय मंडी अधिनियम की धारा 32 के निर्धारित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7/12/21

(विकास नरवाल)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

PREETI/NIYAMAN/LATTER